संख्या– /XVIII(II)/2020–03(30)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 नवम्बर, 2020

विषयः–रूद्रपुर शहर से लगी हुयी ए0एन0झा0 इण्टर कालेज की भूमि ट्रासपोर्टनगर की स्थापना हेतु जिला विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1842/भूलेख/II/VIII(32)/2020–21 दिनांक 10 नवम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम फाजलपुर महरौला तहसील रूद्रपुर की श्रेणी–4 की भूमि रकवा 15.3837 है0 (38 एकड़) जिसका नजराना रू0 23,07,55,500/–(रूपये तेइस करोड़ सात लाख पच्चपन हजार पांच सौ मात्र) है तथा मालगुजारी रू0 7,000/–है, इस प्रकार प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य रू0 23,08,12,00/– (रूपये तेइस करोड़ आठ लाख बाहर हजार पांच सौ मात्र) होता है, के भुगतान के आधार पर ट्रासपोर्टनगर की स्थापना हेतु जिला विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–288/XXIV-B-5/2020-16(2)/2020 दिनांक 10 अगस्त, 2020 में प्रदत्त सहमति के क्रम में ग्राम फाजलपुर महरौला तहसील रूद्रपुर की श्रेणी–4 की भूमि रकवा 15.3837 है0 (38 एकड़) भूमि, को शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)50(39)/2015/2014, दिनांक–09–07–1015 तथा शासनादेश संख्या–496/दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का नजराना रू0 23,07,55,500/–(रूपये तेइस करोड़ सात लाख पच्चपन हजार पांच सौ मात्र) तथा मालगुजारी रू0 7,000/–इस प्रकार प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य रू0 23,08,12,00/– (रूपये तेइस करोड़ आठ लाख बाहर हजार पांच सौ मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय ट्रासपोर्टनगर की स्थापना हेतु जिला विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत

---2

नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगे। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2— प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू—सुधार अधिनियम की धारा—132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3— चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0—9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4— इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या—1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या—3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में संशोधन शासनादेश संख्या—1332/ दिनांक 07 जुलाई, 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

6— प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या—150/1/85 (24)—रा—6 दिनांक—09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30—30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1—1/2 गुना से कम नहीं होगा।

8— प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9— यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

...3

10– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/ अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

11– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या– 1005/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– उपाध्यक्ष, जिला विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।